न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–५/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), मथुरा

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–४९६/२०२३

सी०एन०आर० नं०	यू पी एम टी०१–००१०३४–२०२३
जे०ओ० कोड नं०	आई०डी० यू०पी०– ६१७७

रमजानी उर्फ सूखा पुत्र श्री सलामत निवासी काशीराम कॉलोनी, थाना वृन्दावन, जिला मथुरा .....प्रार्थी/ अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य .....अभियोजक

मु०अ०सं०– १८/२०२२
धारा– २/३ उ०प्र० गिरोहबंद अधिनियम
थाना–गोविन्दनगर , मथुरा।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त रमजानी उर्फ सूखा की ओर से मु०अ०सं० १८/ २०२२, धारा २/३ उ०प्र० गिरोहबंद अधिनियम, थाना– गोविन्दनगर , जिला मथुरा के अन्तर्गत दिया गया है।

संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त रहीश उर्फ सलमान का एक सुसंगठित गिरोह है, जिसके अभियुक्तगण सोहेल, रमजानी उर्फ सूखा व सद्दाम सक्रिय सदस्य हैं, जिस गैंग का मुख्य उद्देश्य चोरी, लूट व नकबजनी की योजना बनाकर थाना क्षेत्र में चोरी की गयी, जिन्हें चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया गया है। थाने पर अभियुक्त के विरूद्ध निम्न आपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं । गिरोह की सक्रियता अन्तर्जनपदीय है, जो भौतिक एवं आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से गिरोह बनाकर चोरी एवं नकबजनी जैसे गम्भीर अपराध कारित करते हैं, जिनकी जानकारी पर जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट के आधार पर उनके विरूद्ध धारा २/३ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्तगण का निम्न आपराधिक इतिहास हैः–

<u>अभियुक्त रमजानी उर्फ सूखा</u>

१– मु०अ०सं० ३००/ २१, धारा–३८०,४११,भा०द०सं०, थाना गोविन्दनगर, जिला मथुरा।
२– मु०अ०सं० ४३४/ २१, धारा–४५७,३८०,४११,भा०द०सं०, थाना गोविन्दनगर, जिला मथुरा।
३–मु०अ०सं० ४३६/ २१, धारा–४५७,३८०,४११,भा०द०सं०, थाना गोविन्दनगर, जिला मथुरा।
४–मु०अ०सं० ४३७/ २१, धारा–३९८,४०१,भा०द०सं०, थाना गोविन्दनगर, जिला मथुरा।

जमानत प्रार्थनापत्र एवं शपथपत्र में शपथकर्ता ने यह अभिकथित किया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है उन्होंने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त दिनांक २०.११.२०२१ से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा । वास्तविकता यह है कि अभियुक्त दिनांक १९.११.२०२१ को सुबह ८:३० बजे मजदूरी हेतु जा रहा था कि पुलिस ने पूछताछ के बहाने बंला लिया और पैसों की मांग की न देने पर इस केस में संलिप्त कर दिया। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। पुलिस द्वारा गुडवर्क दिखाने के लिये झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त आधार पर जमानत की याचना की गयी है।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से लोक अभियोजक के तर्क सुने एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त निर्दोष , है वे आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है। अभियुक्त का न तो किसी सक्रिय आपराधिक इतिहास है । अतः प्रश्नगत मामले में अभियुक्तगण को जमानत दी जाये।

राज्य के लोक अभियोजक ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि अभियुक्त आपराधिक गिरोह के

सदस्य है। वे अपने गिरोह के साथ मिलकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते है, जिसकी वजह से जनपद में भय का माहौल व्याप्त रहता है। अतः अभियुक्त की जमानत खारिज की जाये।

पत्रावली को अवलोकित करने से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज है। उक्त मुकदमा आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए कारित करना कहा गया है। प्रार्थी /अभियुक्त आपराधिक गैंग का सक्रिय सदस्य बताया गया है। गिरोह के सभी मुल्जिमानों का आपराधिक इतिहास है। धारा–१९(४ख)उ०प्र० गिरोहबंद समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम १९८६ द्वारा अपेक्षित है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अभियुक्तगण को तभी जमानत दी जायेगी, जब न्यायालय का यह समाधान हो जाये कि अभियुक्त ऐसे अपराध के दोषी नहीं है तथा वह जमानत पर रहते हुए पुनः अपराध कारित नहीं करेंगे। प्रस्तुत प्रकरण में अभी इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त आरोपित अपराध में दोषी नहीं है अथवा जमानत पर रिहा होने के बाद पुनः अपराध नहीं करेंगे। प्रश्नगत मामले में विवेचना प्रचलित है एवं उनके विरूद्ध साक्ष्य संकलन जारी है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त रमजानी उर्फ सूखा का जमानत प्रार्थनापत्र मु०अ०सं १८/२०२३, अन्तर्गत धारा–२/३ उ०प्र० गिरोहबंद अधिनियम, थाना–गोविन्दनगर, जिला मथुरा निरस्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक– ०९.०२.२०२३

(कमलेश कुमार पाठक)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं० ०५, मथुरा/
विशेष न्यायाधीश उ०प्र० गिरोहबंद समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम १९८६ ।